

पत्रांक: सोएफओ-ग्रुप हाउसिंग-195/2012

दिनांक: नवम्बर 12, 2012

सेवा में,

✓ सचिव,  
फिरोजाबाद-शिकोहाबाद विकास प्राधिकरण,  
फिरोजाबाद।

विषय:-

श्री अब्दुल कुमार अग्रवाल पुरु श्री कैलाश नारायण अग्रवाल निवासी  
जलेसर रोड, फिरोजाबाद के प्रस्तावित ग्रुप हाउसिंग प्लान खस्ता  
नं० 102/2 मौजा मिलिक खान जहानपुर, फिरोजाबाद को अग्नि  
सुरक्षा सम्बन्धी प्रॉविजनल अनापत्ति प्रमाण पत्र दिया जाना।

संदर्भ:-

पत्रांक: 53/2012/वि०प्रा०/12-13 मान० दिनांक 26.10.2012

--- ::: ---

कृपया उपरोक्त विषयक/संदर्भित पत्र का संदर्भ ग्रहण करने का  
कष्ट करें जो खासरा नं० 102/2 मौजा मिलिक खान जहानपुर, फिरोजाबाद पर  
ग्रुप हाउसिंग प्लान हेतु अग्नि सुरक्षा सम्बन्धी अनापत्ति प्रमाण पत्र दिये जाने  
के सम्बन्ध में है।

उक्त सम्बन्ध में श्री जितेन्द्र कुमार अग्निशमन अधिकारी  
फिरोजाबाद से प्रस्तावित स्थल का निरीक्षण कराकर आख्या प्राप्त की गयी।  
संलग्न मानचित्र व अग्निशमन अधिकारी फिरोजाबाद की निरीक्षण आख्या का  
माननीय उच्च न्यायालय की रिट याचिका संख्या 5696 ई.स.बी.०/06 एवं शास्ता  
देशा संख्या 1231/उ:-पु०-8-09-65 ई रिट/06 दिनांक 15.6.2009 के अनुपालन  
में अधोहस्ताक्षरी द्वारा परीक्षण अधिकारी के रूप में अवलोकन/परीक्षण किया गया  
प्रस्तुत मानचित्र के अवलोकन से निम्न तथ्य प्रकाश में आये :-  
डाँचागत संरचना के सम्बन्ध में :-

1. भवन का कुल प्रस्तावित प्लॉट एरिया-2836.43 वर्ग मीटर
2. बेसमेंट एरिया- 1333.00 वर्ग मीटर
3. स्टील्ट एरिया- 989.00 वर्ग मीटर
4. प्रथम तल का कवर्ड एरिया- 989.00 वर्ग मीटर
5. द्वितीयतल का कवर्ड एरिया- 989.00 वर्ग मीटर
6. तृतीयतल का कवर्ड एरिया- 989.00 वर्ग मीटर
7. चतुर्थतल का कवर्ड एरिया- 989.00 वर्ग मीटर
8. पंचमतल का कवर्ड एरिया- 989.00 वर्ग मीटर
9. षष्ठतल का कवर्ड एरिया- 989.00 वर्ग मीटर
10. सप्ततमतल का कवर्ड एरिया- 989.00 वर्ग मीटर
11. ममटो एरिया 47.53 वर्ग मीटर
12. भवन का कुल कवर्ड एरिया- 9279.93 वर्ग मीटर

प्रस्तावित अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाएँ :-

अग्नि सुरक्षा विषयक मुख्य-मुख्य बिन्दु निम्न प्रकार प्रस्तावित किये जा रहे हैं। प्रस्तावित भवन को एनबीसी की रेजिडेन्शियल बिल्डिंग की ए-4 श्रेणी में आका गया है।

1. भवन के टैरिस के प्रत्येक टावर पर 25000 लीटर पानी की क्षमता का टैरिसटैंक
2. प्रत्येक टैरिस से सम्बन्धित 900 एलपीएम क्षमता का टैरिस पम्प।
3. भवन में मानक के अनुसार 30 मीटर लम्बाई का होजरील मय शटआफ नाजुल के प्रत्येक टावर के प्रत्येक तल पर प्राविधान।
4. सम्पूर्ण भवन में आईएस-2190-92 के अनुसार अग्निशमन उपकरणों की व्यवस्था।
5. भवन के प्रत्येक टावर के टैरिस से स्टेयर केस के समीप 100 एमएम साइज के एमएस पाइप पर डाउनकमर की व्यवस्था कर 63 एमएम साइज के लैडिंगबाल्व मय होज व नोजिल की प्रत्येक तल पर व्यवस्था।
6. भवन में मैनअली आपरेटिव इलेक्ट्रिक फायर अलार्म सिस्टम की व्यवस्था।
7. भवन में दशयि गये स्टेयरकेसों की एक्जिट कैपेसिटी भवन के कुल आकूपेट लोड के अधिकतम अनुमन्य निष्क्रमण अवधि के सापेक्ष रखा जाये।
8. भवन के निकास मार्गों की प्रकाश व्यवस्था व फायर पम्पों आदि की विद्युत व्यवस्था वैकल्पिक विद्युत श्रोत जनरेटर पर आधारित होगी जिसे प्रथम सर्किट पर अग्नि से सुरक्षित स्थान से तारले की जानी होगी।
9. जनरेटर रूम हेतु 50 कि.ग्रा. क्षमता को फोम द्राली की व्यवस्था।
10. भवन के समस्त निकास मार्गों पर प्रदक्षित संकेत चिन्ह की व्यवस्था।
11. भवन परिसर में स्थानीय परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए एक लाख लीटर क्षमता का भूमिकृत टैंक केवल अग्निशमन कार्य हेतु उपलब्ध रहेगा जिसपर फायर सविस हेतु टू वे का प्राविधान भी किया जायेगा।
12. भवन के चारों ओर मानचित्र में 08 मीटर का किसी भी दशा में अतिक्रमण नहीं किया जायेगा।
13. प्रस्तावित भवन में निर्माण कार्य करते समय से ही भवन निर्माण उप बांध-2008 एवं एनबीसी मानक के अनुसार निमास द्वार, स्टेयरकेस, फायर स्केप, फायर टावर तथा भवन के चारों ओर एनबीसी मानकों के अनुरूप खुला सैटबैक जिसे मोटरेबुल रखते हुए निर्माण कराया जाना आवश्यक है। इसमें किसी भी प्रकार का निर्माण/अवरोध मान्य नहीं होगा, किसी भी प्रकार की त्रुटि पाये जाने पर स्वयं जिम्मेदार होंगे।

अतः उपरोक्त शर्तों के साथ यह अनुबन्धात्मक प्रॉविजनल अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किया जाता है। उक्त अग्निशमन व्यवस्थाएँ 30 प्र० अग्नि निवार और अग्नि सुरक्षा अधिनियम-2005 के अन्तर्गत बनी 30 प्र० अग्नि निवारण और अग्नि सुरक्षा नियमावली-2005 के अनुसार प्रस्तावित की गयी है जिन्हें भवन के प्रयोग से पूर्व सम्पादित कराकर अग्निशमन विभाग के सक्षम अधिकारी द्वारा निरीक्षणोपरान्त अन्तिम प्रमाण पत्र प्राप्त करना बृहद जनहित में अनिवार्य होगा।

प्रति 02 अजय कुमार आबाल उपरोक्त को सवतार्थ।

2. अग्निशमन अधिकारी फिरोजाबाद को सुरव आ०का० हेतु

मुख्य अग्निशमन अधिकारी,  
फिरोजाबाद।